बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–03–11/2024(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–...............................

डॉ० सुभाष प्रसाद सिह, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अंधापन उन्मूलन कार्यक्रम का नोडल पदाधिकारी होने के बावजूद NGO द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेख को स्वय परीक्षण नही करने, NGO के ऑपरेशन शिविर/अस्पतालों का स्थलीय निरीक्षण नही करने, मरीजों का भौतिक सत्यापन नही करने, अपने पदीय शक्ति को अन्य चिकित्सा पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त करने तथा उक्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर NGO को अनियमित राशि का भुगतान करने के आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन विभागीय संकल्प सं०–80(9) दिनांक–21.01.2025 के द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डॉ० सिंह के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मतव्य दिया गया है। तत्पश्चात् संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दुओ पर डॉ० सिंह से विभागीय पत्रांक–1080(9) दिनांक–24.09.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में डॉ० सिंह द्वारा विभाग में प्रत्युत्तर समर्पित कर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कुमार फॉन्डेशन ट्रस्ट, मुजफ्फरपुर के अस्पताल प्रबंधक द्वारा मरीजों से ऑपरेशन हेतु पैसा के संबंध में त्रिस्तरीय जॉच दल को लिखित रूप से कोई प्रमाण नहीं दिया गया और न ही वरीय पदाधिकारी का नाम का जिक्र है कि उनके कहने पर मरीजों को पैसा वापस लौटाया गया। डॉ० सिंह के पूर्ववर्ती नोडल पदाधिकारी द्वारा संस्थान मे निर्धारित मानक के अनुरूप व्यवस्था पाये जाने पर ही अस्पताल का निबंधन दिया गया था। उक्त NGO के अस्पताल में ऑपरेशन के उपरान्त किसी मरीज द्वारा ऑख में कोई समस्या होने का शिकायत नहीं किया गया है। NGO को मोतियाबिंद के ऑपरेशन हेतु नियमित चिकित्सक रखने का प्रावधान नहीं था। प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि निरीक्षण द्वारा जब भी NGO के अस्पताल का निरीक्षण किया जाता था, चक्षु चिकित्सक से उन्हें मुलाकात होती थी। जब चक्षु चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन किया जायेगा तो अभिलेख पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया जायेगा। डॉ० सिंह को पदस्थापन अवधि के पूर्व से वर्ष 2019 में डॉ० हसीब असगर को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० सिंह के प्रत्युत्तर की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि जॉच दल ने वरीय पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद मरीजों को पैसा लौटाने की बात का जिक्र किया गया। अंधापन उन्मूलन कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी होने के नाते डॉ० सिंह द्वारा उक्त निबंधित अस्पताल के आधारभूत व्यवस्था का समय–समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए था, NGO अस्पताल में निरीक्षण के दौरान नेत्र चिकित्सक उपस्थित नहीं थे, जॉच समिति ने मोतियाबिंद के मरीज का ऑपरेशन में चिकित्सकों के हस्ताक्षर में भिन्नता पायी अर्थात अन्य व्यक्ति द्वारा चिकित्सकों का फर्जी हस्ताक्षर किया जाता था। फलतः डॉ० सिंह के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी०) के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्षों तक 05% (पॉच) प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

02/06/0४ कृ०पृ०उ०

(15)

4. विभागीय पत्रांक–146(9) दिनांक–09.02.2026 द्वारा डॉ० सिंह के विरूद्ध उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्राक–401 दिनाक–11.05.2026 द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

5. अतएव डॉ० सुभाष प्रसाद सिंह, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी०) के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्षों तक 05% (पॉच) प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

6. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–03–11/2024(स्वा0) ..../ **पटना, दिनांकः–**..........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एव हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–03–11/2024(स्वा0) 569(9)/ **पटना, दिनांकः–** 02.06.26

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० सुभाष प्रसाद सिंह, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त पता–4 जी, टी, भगवती अपार्टमेंट, नवल किशोर रोडद्व कदमकुऑ, पटना–9709946890 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02/06/2026
सरकार के अवर सचिव।